# विज्ञापन

**सूबेदार/उपनिरीक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा-2025 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना**

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त क्रमांक/पुमु/2/चयन/स-1/14/2026 भोपाल दिनांक 07.01.2026 के अनुसार सूबेदार/उपनिरीक्षक संवर्ग परीक्षा-2025 हेतु उभयलिंगी अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने हेतु तीन दिवस के लिए आवेदन पोर्टल खोला जा रहा है, जिसकी तिथियाँ निम्नानुसार हैं :-

| केवल अभयलिंगी अभ्यर्थियों हेतु | | |
|---|---|---|
| स. क्र. | आवेदन पत्र भरने की तिथि | संशोधन हेतु तिथि |
| 01 | 08.01.2026 से 10.01.2026 | 08.01.2026 से 11.01.2026 |

3. शेष शर्ते/जानकारी पूर्वानुसार यथावत रहेंगी।

विज्ञापन क्र....../2026

संचालक

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल
(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग)
"चयन भवन, चिनार पार्क (ईस्ट), मेन रोड नं.1, भोपाल – 462011

07/01/26

**संशोधन**

# अध्याय-1

## पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग हेतु भरती परीक्षा-2025 के लिए विभागीय नियम

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं. **पुमु/2-चयन/स-1/ 22-ए/25, दिनांक 25.02.2025 एवं पत्र क्रमांक 596 दिनांक 28.08.2025** के अनुसार मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक (जि.पु.ब.) एवं उप निरीक्षक (विसबल) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष एवं महिला तथा उप निरीक्षक(विसबल) के रिक्त पदों पर केवल पुरूष उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

8. **परिभाषायें:-**

xii. "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण.

xiii. "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

xiv. "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

xv. "अन्य पिछडे वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार व्दारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक-एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 व्दारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग।

xvi. पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./पुमु/2/चयन/स-2/14/2026 भोपाल दिनांक 07/01/2026 के अनुसार **"उभयलिंगी" व्यक्ति से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसका लिंग जन्म के समय उस व्यक्ति के नियत लिंग से मेल नहीं खता है और इसके अंर्तगत उभयलिंगी पुरूष् या अभय स्त्री (चाहे ऐसे व्यक्तिने लिंग पुन: निर्धारण शल्यक्रिया या हार्मोन चिकित्सा या लेजर चिकित्सा या ऐसी अन्य चिकित्सा करवाई हो या नहीं) अंत: लिंग विभिन्न्ताओं वाले व्यक्ति, लिंग-समलैंगिक और किन्नर,हिजडा अरावाणी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।"**

xvii. "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-07/11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 2 जुलाई 2019 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग.

xviii. "विभाग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है.

xix. "समिति" से अभिप्रेत है - राज्य शासन द्वारा गठित की गई चयन समिति.

xx. "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा.

xxi. "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है, प्रारंभिक परीक्षा के बाद ली जाने वाली मुख्य लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार।

xxii. म.प्र. से तात्पर्य है मध्यप्रदेश.

xxiii. "भूतर्पूव सैनिक" से अभिप्रेत है- निम्नलिखित श्रेणी के मध्यप्रदेश के अधिवासी (domicile) भूतपूर्व सैनिक आयु या शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट के लिए पात्र हैं परंतु सेना में सेवारत सैनिक को भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जा सकता, भले ही सेना में उसकी सेवा की अवधि आने वाले समय में पूरी हो रही हो:



07/01/26

ज. भूतपूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त रियायतों के अधीन सेवानिवृत हुए हैं **(मास्टरिंग** रियायतें);

झ. भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया है, और अल्पकालिक सेवा पूर्ण होने पर, उन्हें भर्ती की शर्ते पूरी करने पर कार्यमुक्त किया गया है;

ञ. अधिकारी (सैनिक या नागरिक) जो अपने अनुबंध के पूरा होने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं (अल्पकालिक सेवा के नियमित कमीशन अधिकारियों सहित);

ट. अवकाश रिक्तियों पर 06 महीने से अधिक समय तक लगातार कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी;

ठ. असमर्थता के कारण सेवा से हटाए गए भूतपूर्व सैनिक;

ड.भूतपूर्व सैनिक जो इस आधार पर सेवानिवृत्त हुए हैं कि वे अब सक्षम सैनिक नहीं बन पाएंगे;

ढ. गोली, घाव आदि के कारण चिकित्सा आधार पर सेवा से हटाए गए भूतपूर्व सैनिक.